सेवा में,

श्रीमान् श्रम तथा समझौता अधिकारी,
सर्कल - 1, गुडगांवा

विषय: **मै0 फैशन एक्सप्रैस, 100 उद्योग विहार, फेस-1 के प्रबन्धकों द्वारा दीपावली बोनस वितरण के समय अपनाई गई भेद भाव पूर्ण नीति के कारण संस्थान में तनाव ग्रस्त हालात बारे।**

श्रीमान जी,

प्रार्थीगण सादर निवेदन करते है:-

1. यह कि मै0 फैशन एक्सप्रैस नामक औद्योगिक संस्थान, प्लाट नम्बर 100, उद्योग विहार, फेस-1, गुडगांवा में पिछले लम्बे समय से चली आ रही परम्परा के अनुसार प्रबन्धक उपरोक्त औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिकों कों 20 प्रतिशत की Exgratia राशि दीपावली बोनस के रूप में देते आए है तथा इसके साथ मिठाई व एक आकर्षक गिफ्ट भी सभी श्रमिकों को बिना किसी भेदभाव के दिया जाता रहा है।

2. यह कि उपरोक्त संस्थान के प्रबन्धकों ने इस बार दीवाली पर उपरोक्त परम्परा को तोड़कर मनमाना रवैया अपनाते हुए श्रमिकों को दीपावली बोनस के रूप जो Exgratia राशि दी गई इसमें समान नीति ना अपनाकर भेदभावपूर्ण मनमानी नीति अपनाते हुए किसी श्रमिक को 20 प्रतिशत तथा किसी को ये राशि 15, 12, 10 व 8.33 प्रतिशत बन्द लिफाफे में दिनांक 31.10.2005 को वितरित की जाने लगी - परन्तु प्रबन्धकों की

उपरोक्त नीति का भेद खुलने पर श्रमिकों में तीव्र रोष पैदा हो गया और सभी श्रमिकों ने, जिन्होने राशि प्राप्त कर ली थी, प्राप्त की राशि प्रबन्धकों को लौटा दी और प्रबन्धकों से एक समान नीति अपनाने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने मानने से ईन्कार कर दिया।

इस प्रकार से उत्पन्न हालात के कारण प्रबन्धकों ने दीपावली गिफ्ट व मिठाई भी श्रमिकों को देने से ईन्कार कर दिया और इसके साथ यह शर्त लगाई कि श्रमिक यदि प्रबन्धकों द्वारा मनमाने बोनस वितरण को स्वीकार करेंगे तभी दीपावली गिफ्ट व मिठाई दी जाएगी, अन्यथा नही।

4. यह कि उपरोक्त रूप से वर्णित प्रबन्धकों के मनमाने रवैये के कारण श्रमिकों को ना तो दीपावली बोनस मिल सका और ना ही दीपावली गिफ्ट व मिठाई ही प्राप्त हो सकी और जिसके कारण किसी भी श्रमिक के घर में दीवाली नही मनाई गई।

5. यह कि हम यहां इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना चाहते है कि उपरोक्त उत्पन्न तनाव पूर्ण हालात के कारण एक महिला श्रमिक श्रीमति उषा (फोल्डर) को हार्ट अटैक का दौरा पड चुका है और जो कि अखिल भारतीय आर्युवैदिक संस्थान, दिल्ली में भर्ती है। इसी प्रकार से अन्य महिला श्रमिकों के दिलों दिमाग में भी तनाव बना हुआ है और उनमें से किसी के साथ कुछ भी हो सकता है।

6. यह कि संस्थान के प्रबन्धक श्रमिकों को मनमाने बोनस वितरण को अपनाने के लिए सभी प्रकार के ओछे हथकण्डे अपनाकर श्रमिकों को ब्लैकमेल करने पर उतारू है - उदाहरण के तौर पर 2 श्रमिकों के मामले सामने है। जिसमें से एक श्रमिक रामकुवार झा अपने किसी धरेलू हालात से निपटने के लिए प्रवन्धकों से एडवान्स राशि प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है - परन्तु प्रबन्धकों ने उसे उसकी आवश्यकतापूर्ति हेतू एडवान्स राशि नही दी और अब प्रबन्धक उसे इस शर्त पर एडवान्स राशि देने को तैयार है कि वह पहले बोनस राशि को स्वीकार कर ले। इसी प्रकार से श्रीमति बिमला सहगल नाम की एक महिला श्रमिक का लडका बीमार है जिसकी चिकित्सा हेतु वह प्रबन्धकों से एडवान्स राशि की मांग कर रही है - परन्तु प्रबन्धक उसे इसी शर्त पर एडवान्स राशि को देने के लिए तैयार है कि पहले बोनस राशि को स्वीकार करें।

7. यह कि प्रबन्धकों के उपरोक्त मनमाने रवैये के कारण बोनस वितरण के दिन अर्थात दिनांक 31.10.2005 को उद्योग में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और सभी श्रमिकों ने संस्थान का कामकाज बन्द करने की इच्छा प्रकट की- परन्तु प्रार्थीगण हस्ताक्षरकर्ताओं ने किसी तरह से समझा बुझाकर श्रमिकों को शांत किया तथा संस्थान का कामकाज यथावत रूप से चालू रखा।

8. यह कि प्रबन्धकों द्वारा दीवाली बोनस वितरण में किए गए भेदभाव के कारण सभी श्रमिकों की दिनांक 06.11.2005 को एक सामूहिक मिटिंग सती माता

मन्दिर, गुडगांवा के प्रागण में हुई जिसमें सभी श्रमिकों ने आम राय से दीपावली बोनस के मामले पर तुरन्त कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया और उपरोक्त मिटिंग में बोनस सबन्धी मुद्दे पर बातचीत करने, पैरवी करने, समझौता करने व बातचीत करने का अधिकार प्रार्थीगण हस्ताक्षरकर्ताओं को दिया गया। और यह भी अधिकर प्रार्थीगण को दिया गया कि यदि वे आवश्यक समझे तो उपरोक्त मामले की पैरवी के लिए किसी ट्रेड यूनियन लीडर व वकील को भी अधिकृत कर सकते है।

उपरोक्त तथ्यों और विवरण के आधार पर प्रार्थीगण सादर निवेदन करते है कि आप मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करके श्रमिकों को 20 प्रतिशत Exgratia राशि दीपावली बोनस के रूप में समान रूप से व साथ ही साथ दीपावली गिफ्ट व मिठाई भी सभी श्रमिकों को दिलाई जाए।

स्थान : गुडगांवा

दिनांक : 08.11.2005

प्रार्थीगण/निवेदक

KK [signature]

[signature]

सतबीर सिंह

Narayan

Babulal

प्रति:1.माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ

2. माननीय श्रमायुक्त, चण्डीगढ।
3. माननीय उपश्रमायुक्त, गुडगांव
4. मै0 फैशन एक्सप्रैस, प्लाट नम्बर 100, उद्योग विहार, फेस-1, गुडगांव

सम्मुख आदरणीय श्रम तथा समझौता अधिकारी सर्कल-1, गुडगांव

शिकायत संख्या -

मध्य

श्रमिकगण	बनाम	मैसर्ज फैशन एक्सप्रैस, प्लाट नम्बर 100, उद्योग विहार, फेस-1, गुडगांव

अधिकार पत्र

आदरणीय श्रीमान् जी,

हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता अपने उपरोक्त शिकायत में आपके सम्मुख पैरवी करने का अधिकार श्री भीम सैन प्रभाकर-उप प्रधान, हरियाणा एटक, बलबीर काजल व दिनेश कुमार वर्मा को देते है।

प्रार्थीगण

स्थान : गुडगांवा

दिनांक : 08.11.2005

स्वीकृत

1. भीम सैन प्रभाकर
2. बलबीर काजल
3. दिनेश कुमार वर्मा